

द्वारकापुर्जे लक्ष्मीनारायण
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उत्पादन कार्यालय, गोपनी

४५८

विषय:- लक्षित जन वितरण प्रक्रमी की नवदायिता और उचित कार्यकरण हेतु सहकृत समितियों के गठन की स्थीरता के संबंध में।

राष्ट्रीय खात्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो डारखण्ड राज्य में लागू होने जा रहा है, के आलोचना में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, लक्ष्यकारियों की जड़देही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के दार्ढ रत्तरीय एवं पंचायत रत्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में अधिनियम को धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दस्तु अधिनियम 1955 (जनय-जनय पर घटा राशनाधिक) के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में खात्यविनिर्दिष्ट घटाराशनाधिक) के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में खात्यविनिर्दिष्ट

(2) राज्य स्तरीय सतर्कता सन्निति

- | | | — अध्यक्ष । |
|--------|---|-------------------|
| (i) | मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपनोक्ता नामले विभाग, झारखण्ड । | — सदस्य । |
| (ii) | मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग । | — सदस्य । |
| (iii) | मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । | — सदस्य । |
| (iv) | मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग । | — सदस्य । |
| (v) | मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग । | — सदस्य । |
| (vi) | मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग । | — सदस्य । |
| (vii) | मंत्री, महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग । | — सदस्य । |
| (viii) | मंत्री, कल्याण विभाग । | — सदस्य । |
| (ix) | सांसद - 02 (दो)
(विभाग द्वारा मनोनीत) | — सदस्य । |
| (x) | विधायक - 05 (पाँच)
(विभाग द्वारा मनोनीत) | — सदस्य । |
| (xi) | प्रधान सचिव / अधिकारी
झारखण्ड सार्वजनिक वितरण एवं उपनोक्ता नामले विभाग । | — सदस्य अधिकारी । |

- (xii) प्रधान सचिव / सचिव
प्रानोग विकास विभाग। -- सदस्य।
- (xiii) प्रधान सचिव / सचिव
नगर विकास एवं आदान विभाग। -- सदस्य।
- (xiv) प्रधान सचिव / सचिव
स्कूलस्थ चिकित्सा शिक्षा
एवं परिवार कल्याण विभाग। -- सदस्य।
- (xv) प्रधान सचिव / सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
-- सदस्य।
- (xvi) प्रधान सचिव / सचिव
स्कूली शिक्षा एवं
साक्षरता विभाग। -- सदस्य।
- (xvii) प्रधान सचिव / सचिव
महिला, बाल विकास
एवं समाजिक सुरक्षा विभाग। -- सदस्य।
- (xviii) प्रधान सचिव / सचिव
कल्याण विभाग। -- सदस्य।
- (xix) विभाग द्वारा मनोनीत
29 (बीस) व्यक्ति जिसमें प्रत्येक प्रमण्डल से
एक-एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
महिला वर्ग का सदस्य अदर्श हों। -- सदस्य।
- (xx) विभाग द्वारा मनोनीत 02 (दो)
जन वितरण प्रणाली विक्रेता। -- सदस्य।
- (3) जिला स्तरीय सतर्कता समिति
 (i) जिला के प्रभारी नंत्री -- सदस्य।
 (ii) जिला परिषद के अध्यक्ष -- सदस्य सचिव।
 (iii) जिला पदाधिकारी -- सदस्य।
 (iv) पुलिस अधीक्षक -- सदस्य।
 (v) जिला आपूर्ति पदाधिकारी -- सदस्य।
 (vi) जिला के सभी अनुग्रहल पदाधिकारी -- सदस्य।
 (vii) जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य -- सदस्य।
 (viii) जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय के अध्यक्ष -- सदस्य।
 (ix) जिला के सभी सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक -- सदस्य।
 (x) विभाग द्वारा मनोनीत
5 (छ) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य
अदर्श हों। -- सदस्य।

- (xi) विभाग द्वारा नियोनीत
निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक सदस्य
— सदस्य।
- (xii) दिनांक द्वारा ननोनीत 02 (दो)
जन वितरण प्रणाली विक्रेता
- (4) प्रखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति
 (i) प्रखण्ड के प्रमुख — अध्यक्ष।
 (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी — सदस्य सचिव।
 (iii) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी — सदस्य।
 (iv) नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष — सदस्य।
 (v) प्रखण्ड के उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के सभी सदस्य — सदस्य।
 (vi) सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक — सदस्य।
 (vii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 6 (छ:) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति, अनुचूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हों। — सदस्य।
 (viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति। — सदस्य।
 (ix) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 02 (दो) जन वितरण प्रणाली विक्रेता — सदस्य।
- (5) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति
 (i) नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड पार्षद — संयोजक।
 (ii) वार्ड के निकटतम गोटो से पराजित वार्ड पार्षद का चम्मीदावार — सदस्य।
 (iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 6 (छ:) व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति, अनुचूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हों। — सदस्य।
 (viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत निःशक्ति/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति। — सदस्य।
- (6) पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति।
 (i) पंचायत के मुखिया — संयोजक।
 (ii) पंचायत के सचिव — सदस्य।

- (iii) एकादश के निकटतम दोटी से
प्रदूषित चुड़िया के उन्नीदण्ड
— सदस्य।
- (iv) पंचामत के निकटतम दोटी से
पराजित सरपंच के उन्नीदण्ड
— सदस्य।
- (v) मामी नाव सदस्य
— सदस्य।
- (vi) तभी पंच
— सदस्य।
- (vii) जिला पदाधिकारी द्वारा ननोनीत
6 (छ) व्यवित् जिसमें अनुचूचित जाति,
अनुसूचित जमजाति, नहिला वर्ग का एक-एक सदस्य
अवश्य हो।
- (viii) जिला पदाधिकारी द्वारा ननोनीत
निःशक्ति / निःलहाय वर्ग का एक व्यवित्।
- (ix) मुखिया की अनुपस्थिति में
पंचायत के उप मुखिया संयोजक के
रूप में कार्य करेंगे।
- (7) (क) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।
- (i) शब्दीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन तभी योजनाओं के
कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के जंबूद्ध में जिला
शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iii) किसी अनाधार या निधियों के दुर्विनियोग के जंबूद्ध में, जिला शिकायत
निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iv) लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सम्बूर्ण
क्रियाकलापों एवं इसकी सुलभ क्रियाशील में आने वाली
समस्याओं/ बाधाओं की त्रैमासिक समीक्षा करना।
- (v) समिति / इसके सदस्य, जन वितरण प्रणाली दुकान एवं विभाग के
नियंत्रणाधीन कार्यालयों का दौर कर सकती है एवं योजना के लानुकै
ते सम्पर्क कर सकती है। इस परिपेक्ष्य में समिति लक्षित जन वितरण
प्रणाली योजना के सफल कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और
उसके तिहान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी।
- (vi) यदि किसी मुद्रे पर केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में निर्णय अपेक्षित हो
तो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति सुधारात्मक कार्यवाई के लिए केंद्र
सरकार को अनुशंसा कर सकती है।
- (vii) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति द्वे अध्यक्ष द्वा
र्होगा।

(२४) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्योक्षण करना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में नूचित करना।
- (iii) किसी अनाचार या नियमों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iv) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित होने वाली विभिन्न योजनाओं की गति— खाद्यानन्, किरासन तेल आदि के सरान्य उठाव एवं वितरण की समीक्षा करना,
- (v) राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्याननों के उठाव एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के नाम्यम से तामुकों के बीच इसके वितरण की समीक्षा करना तथा इसमें उत्पन्न कठिनाईओं की समीक्षा कर सरलार द्वारा निर्धारित नीति के तहत उस पर निष्पत्ति लेना।
- (vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।

(ग) प्रखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्योक्षण करना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iii) किसी अनाचार या नियमों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।
- (iv) प्रखण्ड स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरण पर निगरानी रखना, खाद्यानन्, किरासन तेल आदि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
- (v) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।

(घ) शहरी निकाय सेवों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व।

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्योक्षण करना।
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

(iii) किसी अनावार या अधिकारी के दुर्बोलता के लिए नियम निवारण अधिकारी द्वारा लिखित में सूचित करना।

(iv) वार्ड/सदायत वें लिखित जन इकाई इनकालों वाले दुकानों हाथ सुपरोक्षाओं के बीच वितरित किए जाने वाले खाद्यान, किरासन और जादि का उठाव एवं वितरण पर नियमानी रखना,

(v) जन वितरण प्रणाली के नाध्यम से दितरण होने वाले खाद्यान, किरासन तेल आदि उपभोक्ताओं के निर्धारित भावा एवं दर पर सपलब्ध करना,

(vi) सनिति की बेठक आयोजित करने का वायित्व समिति के संयोजक का होगा।

(vii) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा खाद्यान, किरासन तेल आदि के उठाव एवं वितरण से संबंधित सूचना संस्थान रानिति के संयोजक को सपलब्ध करना,

(8) स्तरकर्ता समिति के अध्यक्ष/संयोजक या सरकार ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकते हैं-

(क) जो दिवालिया है या किसी सन्देश दिवालिया अधिगिर्णीत किया गया है, या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या नानोसिफ रूप से असमर्थ हो, या

(ग) किसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धादेश ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्भूत है, या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की समावज्ञा हो, या

(इ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित ने हानिलाभक हो।

9. ऐसे किसी अध्यक्ष/संयोजक या सदस्य को उक्त कांडिला-08 (घ) या (इ) के अधीन लब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

10. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्तरकर्ता समितियों का गठन कर विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत को जायेगी। अन्य समितियों के गठन की अधिसूचना जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।

11. उपर्युक्त स्तरकर्ता समितियों का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों का होगा। प्रत्येक तीन माह पर समिति की बेठक अवश्य आयोजित की जायेगी।

12. समिति के पदों के रिक्त रहने के कारण उसके कार्यों पर छोड़ प्रभाव नहीं पहुँचा।

✓

13. उत्तरायुक्त व्यवस्था के संशोधन अधिकार में किसी प्रकार के नार्ग-निर्देश उपलब्ध दराने का वायित्व सरकार के उच्चार संघर्षित वितरण एवं उच्चभोक्ता मानले जिमान का होगा।

उपरोक्त के कलेख पर निपिण्ठिष्ट की दिनांक 25.03.2015 दी बैठक के बदले 7 सेत्ता-7 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के ऊटेश सं.

(विनय कुमार चौधे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०आ०-०४ / वित्त-सह-निग०-०१ / 2012 4258 / राँची, दिनांक- 02-09-15
प्रतिलिपि—महाभाष्यम् राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय नुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विनागार्थक/सभी प्रनंडलीय आयुक्त/सभी उच्चायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला अवर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी उचित अनुभाफत पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विनागार्थ मंत्री के आदेश/सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी आधवक, जिला उपनोक्ता फोरन/सभी पदाधिकारी, खाद्य, संरक्षणिक वितरण एवं उच्चभोक्ता मानले जिमान, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार चौधे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०आ०-०४ / वित्त-सह-निग०-०१ / 2012 4358/राँची, दिनांक- 02-09-15
प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को सार्वजनिक जानकारी हेतु झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में मुद्रित किया जाय। अधिसूचना को मुद्रित कर 200 प्रतियों में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(विनय कुमार चौधे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०आ०-०४ / वित्त-सह-निग०-०१ / 2012 4358/राँची, दिनांक- 02-09-15
प्रतिलिपि—संकल्प में उल्लंखित सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार चौधे)
सरकार के सचिव।